रामगंजमण्डी

15.1.21 पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान् उपस्थित
है। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर
मनन किया गया। दौराने सुनवाई रेस्पोंडेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

-क्रमशः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नम्बर 1 स्वयं उपस्थित है। रेस्पो० का कथन है, कि हीरालाल जी मेरे पति नहीं अपितु ससुर है। मेरी सास का नाम हीराबाई था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। रेस्पो० का कथन है, कि वह अपीलार्थी की पत्नी है। वकील रेस्पो० को अपील अपीलार्थी स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। वकील अपीलार्थी का कथन है, कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा शजरा अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक नहीं कर मृतक हीरालाल के वारिसान के रूप में रेस्पो० नम्बर 1 को मृतक हीरालाल की पत्नी अंकित कर दिया है, जबकि रेस्पो० नं० 1 अपीलार्थी की पत्नी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पो० नम्बर 1 को अपीलार्थी की माँ अंकित कर दिया है, जबकि रेस्पो० नम्बर 1 अपीलार्थी की पत्नी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे। बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मेमो में अंकित उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी -क्रमशः-	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथ्य, वाँछित अनुतोष, संलग्न दस्तावेज, आदि पर विचार किया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम डीगसी की भूमि खसरा नं० 189 के संबंध में दायर नामान्तरकरण नम्बर 548 आदेश दिनांक 5.5.12 के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत दि. 5.5.12 की अपील प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश से प्रभावित भूमि के खातेदार हीरालाल पुत्र खेमा का वारिस पुत्र अपीलार्थी व पत्नी हीराबाई शजरे में अंकित है। अपीलाधीन आदेश से हीराबाई के स्थान पर कमलाबाई नाम अंकित कर दिया है। अपील के स्तर पर यह तय नहीं किया जा सकता कि मृतक हीरालाल के विधिक उत्तराधिकारी कौन-कौन है। परन्तु रेस्पो० नम्बर 1 का कथन है, कि वह मृतक हीरालाल की पत्नी नहीं होकर अपीलार्थी की पत्नी है। हीरालाल जी की पत्नी हीराबाई की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ उसे अपील अपीलार्थी स्वीकार करने पर आपत्ति नहीं है। अतः पक्षकारान की सहमति के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	-क्रमशः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की त... में जारी हु...

की जाकर ग्राम डींगसी के नामान्तरण(ण) नं० 548 पर दिया गया अपीलाधीन आदेश दिनाङ्क 5.5.12 को अपास्त किया जाता है।

प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वे पक्षकारों को अपने-अपने तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये नये सिरे से विधिसंगत आदेश पारित करें।

निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रामगंजमण्डी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दा०दा० हो।

निर्णय आज दिनाङ्क 15.01-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(देशाल दान)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी